

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20(503-XII)एनआरएचएम/एचआरडी/2018/276

दिनांक : 22/02/18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के प्रबन्धकीय संवर्ग के राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संविदा पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 407 दिनांक 13.04.2016 के क्रम में ग्रुप-सी से संबंधित संविदा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर पद की प्रतीक्षा सूची में कटेगरीवाईज मेरिटवाईज उपलब्ध अभ्यर्थियों में से 12 पदों पर नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख राशि रु 15000/- प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर संबंधित जिलो में नियुक्त किया जाकर निम्नानुसार एतद् द्वारा संविदा आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

S.N o.	Name of Candidate	Father's / Husband Name	Block	District
1	SHYAM SUNDER KIRADOO	MANAK LAL KIRADOO	MUNDWA	NAGOUR
2	VISHNU PRASAD SUMAN	HIRA LAL SUMAN	SHAHBAD	BARAN
3	SAURABH KATARA	SHIVDATT SHARMA	NAGAR	BHARATPUR
4	GULZAR HUSSAIN MANSOORI	LIYAKAT ALI	ABU ROAD	SIROHI
5	NEERAJ CHATURVEDI	KEDAR NATH CHATURVEDI	PRATAPGARH	PRATAPGARH
6	NITIN VAISHNAW	GOVIND PRASAD VAISHNAW	RANIWARA	JALORE
7	KAMALESH KUMAR	LOONA RAM	CHOHTAN	BARMER
8	PURUSHOTTAM BHATI	MOTI RAM BHATI	BHIM	RAJSAMAND
9	NITISHA VERMA	UDAY SINGH VERMA	ANANDPURI	BANSWARA
10	SUNITA GUPTA	KAMLESH KUMAR GUPTA	BALESAR	JODHPUR
11	ANSHU SHARMA	YOGESH KUMAR CHOTIA	BHOPALSAGAR	CHITTORGARH
12	SAVITA KUMARI	HIMMATA RAM GARASIYA	KHARCHI	PALI

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 05/03/2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 07/03/2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं ₹ 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

निर्धारित अनुबंध का प्रारूप समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पृथक से भिजवाया जा रहा है, जिसके आधार पर नव नियुक्त संविदा कार्मिक के साथ अनुबंध निष्पादित किया जाना है।

उक्त संविदा कार्मिकों को प्रथमतः 31 मार्च 2018 के लिये लिया जावेगा। संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर सेवाएं संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार प्रथमतः आगामी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च (वित्तीय वर्ष अवधि) तक के लिये बढ़ाया जायेगा।


अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति में उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड में रखते हुये नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

यदि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष इनका मूल्यांकन अगले वर्ष की 31 मई तक निष्पादित नहीं किया जाता है, तो 01 जून से अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा, इस संबंध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

ब्लॉक स्तर के कार्मिकों का मूल्यांकन जिला स्तर पर ही होगा तथा जिला स्वास्थ्य समिति/जिला स्तर की पूर्वानुमति के बिना इसे अन्तिम नहीं किया जा सकेगा।

ब्लॉक मुख्यालय पर यदि बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था है तो उक्त संविदा कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी, जो इस आशय की रिपोर्ट एचआर अनुभाग, एनएचएम को ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भेजेंगे।

  
(मनीष जैन)  
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अति0 मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, वित्त, एनएचएम, जयपुर।
8. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
10. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार एनएचएम, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त संबंधित जिले।
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त संबंधित जिले।
14. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त संबंधित ब्लॉक।
15. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक  
एनएचएम